(153)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 558–एक/2016 विरूद्व आदेश दिनांक 11–2–2016 – पारित – व्दारा – आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 15/2015–16 अपील

रामदास पुत्र स्व. रामनारायण ओझा
ग्राम मुड़ियाखेड़ा तहसील भिण्ड,
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ––आवेदक

विरूद्व

1– रामविलास पुत्र मुंशीलाल ओझा
निवासी मृगपुरा सर्किल पीपरी, भिण्ड
2– रामकिशोर पुत्र मोहरराम ओझा
ग्राम सरायपुरा जिला भिण्ड ---असल अनावेदक
3– मुन्नेश 4– राजू 5– अशोक
तीनों पुत्रगण मोहराम ओझा
ग्राम सरायपुरा जिला भिण्ड -- तीरतीवीं अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा एंव श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 20 – 5 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 15/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–2–2016 के विरूद्व यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रामनारायण पुत्र सामले के नाम ग्राम मुड़याखेड़ा स्थित कुल किता 4 कुल रकबा 1.07 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमि थी जिनकी मृत्यु उपरांत आवेदक ने बसीयतनामा प्रस्तुत करते

हुये नामान्तरण किये जाने की प्रार्थना की । नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी तहसील भिण्ड ने प्रकरण कमांक 20/2014-15 अ-6 पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2014 पारित किया तथा बसीयत प्रमाणित पाने से वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 29/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-10-2015 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 15/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-2-2016 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये एंव अपील स्वीकार कर मृतक रामनारायण की भूमि पर आवेदक का हिस्सा 1/3, मृतक शीतला देवी पत्नि मुंशीलाल ओझा के पुत्र रामविलास का हिस्सा 1/3 पर एंव मृतक राजावेटी पत्नि मोहरमन के पुत्र रामकिशोर, मुन्नेश, राजू, अशोक का हिस्सा 1/3 पर नामान्तरण करना स्वीकार किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि मृतक रामनारायण पुत्र सामले के नाम ग्राम मुइयाखेड़ा में भूमि सर्वे नंबर 190 रकबा 0.31 आरे, सर्वे नंबर 210 रकबा 0.32 आरे, सर्वे नंबर 216 रकबा 0.17 आरे, सर्वे नंबर 250 रकबा 0.27 आरे कुल किता 4 कुलरकबा 1.07 हैक्टर भूमि थी, जिसकी बसीयत मृतक रामनारायण व्दारा आवेदक के पक्ष में

की गई है। मृतक रामनारायण की भूमि पर नामान्तरण किये जाने वावत् तीनों अधीनस्थ न्यायालय व्दारा पारित आदेश क्रमशः दिनांक 31-12-2014 , 8-10-2015 एंव 11-2-2016 का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश 11-2-2016 के पृष्ठ-5 में विवेचना की है कि तहसील न्यायालय व्दारा इस्तहार का निर्वाह विधिवत् नहीं कराया कि किस दिनांक को इस्तहार चस्पा किये गये व किस गवाह के सामने चस्पा किये कोई दिनांक व नाम अंकित नहीं है । तहसील न्यायालय के प्रकरण में संलग्न इस्तहार के अवलोकन पर स्थिति यह है कि इस्तहार की पीठ पृष्ठ पर तामील कुनिन्दा की टीप है कि उसके व्दारा इस्तहार की एक प्रति ग्राम के चौपाल पर, एक प्रति तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है इसके वाद भी अपर आयुक्त व्दारा विपरीत निष्कर्ष निकाल कर इस्तहार के प्रकाशन पर टीका-टिप्पणी करते हुये नामान्तरण नियम 27 का पालन न करना मानना उचित नहीं माना जा सकता।

5/ अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 11-2-16 के अवलोकन पर यह भी पाया गया है उन्होंने बसीयतनामे के आधार पर किये गये नामान्तरण को अनुचित ठहराया है एंव इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

" रामनारायण की मृत्यु 23-4-2002 को हुयी ग्राम पंचायत मुड़ियाखेड़ा व्दारा दिये गये पंचनामे में मृतक रामनारायण का एकमात्र वारिस प्रतिअपीलार्थी कमांक 1 रामदास को बताया गया है ..... जबकि रामनारायण व्दारा संपादित बसीयतनामे में दो पुत्रियॉ होने का उल्लेख किया गया है। " इसी आधार पर आयुक्त व्दारा मृतक खातेदार रामनारायण की कृषि भूमि में उसकी दो मृतक पुत्रियों को समान हिस्सा देते हुये उनके पुत्रों का नामान्तरण स्वीकार किया है। विचार योग्य है कि जब रामनारायण की मृत्यु

23-4-2002 को हुई है एंव हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार मृतक भूमिस्वामी की कृषि भूमि में विवाहित पुत्रियों को हिस्सा प्राप्त करने की पात्रता नहीं है क्योंकि पुत्रियों को पेत्रिक संपत्ति में हिस्सा पाने की पात्रता सॅशोधित अधिनियम 2005 से है अतएव अपर आयुक्त व्दारासॅशोधित अधिनियम 2005 भूतलक्षी प्रभाव से लागू मानने में भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा-8 में संपत्ति का न्यायगत (Devolve) इस प्रकार बताया गया **है " न्यायगत होना से अर्थ है किसी की मृत्यु के वाद मृतक की संपत्ति मृतक के जीवित वारिसों को प्राप्त हो जाना। जीवित व्यक्ति के व्दारा मृतक की संपत्ति को उत्तरजीविता (Survivorship) या उत्तराधिकार में प्राप्त करना ही न्यायगत होना है अर्थात जीवित व्यक्ति में संपत्ति का निहित (Vest) होना है।"** जबकि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने खातेदार रामनारायण की दिनांक 23-4-2002 को मृत्यु होने के उपरांत वर्ष 2016 में मृतक पुत्रियों को अनुपातिक हिस्सा देते हुये उनके पुत्रों को समान हिस्सा दिया है जबकि मृतक रामनारायण ने अपने जीवनकाल में उसकी स्वअर्जित कृषि भूमि की बसीयत आवेदक के हित में की है। लेखक चन्द्रनाथ झा व्दारा रचित हिन्दू विधि की धारा 8 की टिप्पणी-2

में बताया गया है कि **" निर्वसीयत Intestate - धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी हिन्दू अपनी संपत्ति का बसीयत Will - या अन्य बसीयत व्ययन Testamentary disposition के व्दारा व्ययन कर सकता है वह संपत्ति चाहे सहदायिकी संपत्ति में हित हो या स्वअर्जित संपत्ति हो।"** वादग्रस्त भूमि आवेदक के हित में बसीयत व्दारा प्रदान की गई है बसीयत विचारण न्यायालय में प्रमाणित हुई है, जिसके कारण

विचारण न्यायालय के आदेश को प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है इसके वाद भी अपर आयुक्त व्दारा आवेदक के हित में बसीयत प्रमाणित होने के वाद भी मृतकखातेदार रामनारायण की कृषि भूमि में उसकी मृतक पुत्रियों को भूतलक्षी प्रभाव से आनुपातिक हिस्सा देकर नामान्तरण करने में भूल की गई है जिसके कारण अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 15/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-2-2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 15/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 11-2-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 29/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-10-2015 एंव नायव तहसीलदार वृत्त पीपरी तहसील भिण्ड व्दारा प्रकरण कमांक 20/2014-15 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 31-12-2014 उचित पाये जाने से यथावत् रखे जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश ग्वालियर